प्रेस नोट दिनांक 30.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

- **स्व-रचित झूठी लूट का सफल अनावरण — थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना में वादी सहित अन्य 01 अभियुक्त गिरफ्तार, पल्सर व लूट का माल बरामद**
- **पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा लूट की झूठी घटना का किया गया सफल अनावरण — वादी सहित अन्य 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **रानीगंज लूट प्रकरण का पुलिस ने किया सफल अनावरण — वादी द्वारा स्वयं रची गई झूठी लूट की घटना, पुलिस को किया गया गुमराह**
- **पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उजागर की गई स्वयं रचित लूट एवं फायरिंग की योजना**

प्रतापगढ़।
दिनांक 26.10.2025 को आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्यामलाल, निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज द्वारा थाना रानीगंज पर तहरीर दी गई थी कि रात्रि जब वह अपने प्रतिष्ठान "मां बाराही फिजियोथैरेपी सेंटर", रानीगंज बाजार से घर लौट रहा था, तभी इंडियन पेट्रोल पंप, रानीगंज के पास पीछे से आए 2–3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक रोकने का प्रयास किया। वादी द्वारा बाइक न रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की और उसके ₹6,500 नगद व सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गए । इस आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 395/2025 धारा 309(4)/288 बीएनएस बनाम अज्ञात दर्ज किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सतत रूप से साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, सर्विलांस सेल की सहायता एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। उक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तगणों की पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना वादी द्वारा स्वयं अपने साथी गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह व अन्य साथियों के साथ षड्यंत्रपूर्वक अपने ऊपर ही कारित कराई गई थी, जिससे किसी व्यक्तिगत विवाद को समाप्त करने हेतु झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया जा सके।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में **स्वाट टीम/ सर्विलांस टीम प्रभारी श्री अमित चौरसिया मय टीम व थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया, हे0का0 गंगासागर जी, का0 रुद्रांश चौबे तथा उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 योगेन्द्र सिंह, का0 सलोने कुमार** द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सई नदी चौहर्जन पुल के पास से मु0अ0सं0 395/2025 धारा 309(4)/288 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों,

1. गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी ग्राम पल्टन बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता निवासी ग्राम जोगापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष 2. आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्तों के कब्जे से 01 पीली धातु की अंगूठी, 02 मोबाइल फोन (Vivo एवं Motorola), 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर UP72BJ6843 बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 217/61(2)a/317(2) BNS बीएनएस की बढोत्तरी की गई। बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने दो अन्य साथियों — 1. रुद्राक्ष उर्फ रुद्रांश शुक्ला पुत्र मिलिन्द शुक्ला एवं 2. श्याम मिश्रा पुत्र नीरज मिश्रा, निवासीगण सब्जी मंडी, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़- की सहायता से उक्त झूठी लूट की घटना रची थी।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण–
गिरफ्तार अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि मेरा 'माँ बाराही फिजियोथैरेपी सेंटर' नामक क्लीनिक रानीगंज बाजार में है। मेरी शादी लगभग एक वर्ष पूर्व हुई है। शादी से पहले मेरी एक लड़की से जान-पहचान थी, जो मुझसे शादी करने का दबाव बना रही थी। मैं पहले से विवाहित होने के कारण परेशान रहता था, मानसिक तनाव के कारण नींद की गोलियाँ भी खाता था। मैंने यह बात अपने मित्र गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह से साझा की, जिस पर हमने यह योजना बनाई कि क्यों न मेरे ऊपर एक झूठी लूट व फायरिंग की घटना कराई जाए, जिससे उस लड़की को फँसाया जा सके और वह पीछे हट जाए। इसके लिए गोलू सिंह ने अपने दो साथियों रुद्राक्ष उर्फ रुद्रांश शुक्ला व श्याम मिश्रा को यह काम करने को कहा। दिनांक 26.10.2025 को योजनानुसार उन्होंने मेरे बताये स्थान इंडियन पेट्रोल पंप रानीगंज के पास से नकली लूट की घटना की, जिसमें उन्होंने मेरी अंगूठी व ₹6,500 लेकर दिखावटी फायरिंग की। घटना के बाद मैंने थाने में जाकर झूठी तहरीर देकर लूट का मुकदमा दर्ज कराया। यह मेरी और मेरे साथियों की साजिश थी।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह ने बताया कि मैं पैरालाइसिस का पेसेन्ट हूँ तथा छडी लेकर चलता हूँ मैं आशीष डाक्टर को वर्ष 2007 से जानता हूँ, यह मेरे साथ पढे हैं तथा मैं जबसे बीमार चल रहा हूँ तबसे इनके क्लीनिक पर थैरेपी कराने जाता रहता हूँ। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख शादी विवाह में एक दूसरे के घर आता जाते हैं। डाक्टर आशीष का किसी लडकी से प्रेम प्रसंग चल रहा है उसी बात को लेकर डाक्टर काफी हैरान परेशान रहते हैं डाक्टर ने हमसे यह भी बताया था कि वह लडकी हमसे शादी का दबाव बना रही है जबकि डाक्टर पहले ही शादी शुदा है इसी बात को लेकर डाक्टर मानसिक रूप से परेशान होकर नींद की दवा भी खाते हैं तथा डिप्रेशन में रहते हैं। यह बात जब आशीष डाक्टर ने हमसे साझा किया था तो हम दोनों लोगों ने डाक्टर के क्लीनिक पर बैठकर यह योजना बनाई कि क्यों न उस लडकी से पीछा छुडाने के लिए डाक्टर आशीष के ऊपर लूट व फायरिंग की घटना कारित करा दी जाये तथा अज्ञात में मुकदमा लिखाकर बाद में जब लड़की शादी का दबाव बनायेगी तो हम लोग उस लडकी को व उसके घर वालों को जेल भिजवा दिया जायेगा, जिससे मामला खत्म हो जायेगा। इसी योजना के तहत दिनांक 26.10.2025 को मैंने अपने साथी दो लड़कों को जिनका नाम 1.रुद्राक्ष उर्फ रुद्रांश शुक्ला, 2. श्याम मिश्रा को भेजा था। वह योजना के अनुसार डाक्टर आशीष कुमार गुप्ता के बताये स्थान इण्डियन पेट्रोल पम्प से थोडी दूर आगे सून सान स्थान पर योजना के अनुसार डाक्टर से अंगूठी व पैसा लेकर अपनी पिस्टल से दो राउण्ड फायर कर घटना को अंजाम देकर वापस रानीगंज होते हुए अपने घर चले गये।

जिस पिस्टल से रुद्राक्ष व श्याम ने फायर किया था वह पिस्टल उन्हीं दोनों के पास है। अंगूठी उन्होंने हमें लौटा दी थी जिसे आज मैं डाक्टर आशीष कुमार गुप्ता को दे दिया हूँ अंगूठी उनके पास है। मैंने अपने मित्र हरिश्चन्द्र सरोज के मोबाइल से अर्पित शुक्ला जो रुद्राक्ष उर्फ रुद्रांश का चचेरा भाई है को UPI पर गोलू के कहने पर दिनांक 28.10.2025 को भिजवाया था। जिसका स्क्रीन शॉट मेरे मोबाइल में है

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से निम्न वस्तुएँ बरामद की गई —

01 एक पीली धातु की अंगूठी (लूटी गई वस्तु)

02 दो मोबाइल फोन (Vivo एवं Motorola)

01 एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP72BJ6843, जिसका उपयोग घटना में किया गया था उक्त वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, निवासी पल्टन बाजार, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
2. आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता, निवासी लच्छीपुर, थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शेखर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, निवासी पल्टन बाजार, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 395/25 धारा 309(4)/288/217(2)/ 61(2)ए/317(2) भा0न्या0सं थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 442/2015 धारा 120 बी/201/302/364 भादवि थाना झूँसी प्रयागराज जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 15/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झूँसी प्रयागराज जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 548/2022 धारा 286, 34, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

05. मु0अ0सं0 धारा 564/2019 धारा 307,336,34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मनगवां जनपद रीवा मध्यप्रदेश।

बरामदगी –

01 पीली धातु की अंगूठी

02 मोबाइल फोन (Vivo एवं Motorola)

01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर UP72BJ6843

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया, हे0का0 गंगासागर जी, का0 रुद्रांश चौबे तथा उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 योगेन्द्र सिंह, का0 सलोने कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रभारी स्वाट टीम- उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उ0नि0 श्री दिनेश सिंह, हे0कां0 धनन्जय राय, हे0कां0 महेन्द्र प्रताप, हे0कां0 मोहित राज यादव, कां0 जागीर सिंह, कां0 राजेन्द्र कुमार, हे0कां0 चालक राजेन्द्र प्रसाद सिंह।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण — 02 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹2,00,000 नगद व 02 मोबाइल फोन बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 28.10.2025 को वादी, निवासी ग्राम मंसा का पुरवा, थाना सलोन, जनपद रायबरेली द्वारा तहरीर दी गई कि उसे सूरज त्रिपाठी पुत्र बीरेन्द्र त्रिपाठी निवासी शहाबपुर बेती, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ तथा अक्षय सिंह पुत्र श्यामराज सिंह एवं रिंकू सिंह पुत्र अमरपाल सिंह, दोनों निवासी विजयी मऊ, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा नरई नहर पुलिया पर बुलाया गया था। आरोपियों ने वादी से कहा कि यदि वह ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) लाएगा, तो वे उस राशि को ₹4,00,000 बनाकर वापस कर देंगे। उक्त प्रलोभन में आकर वादी मौके पर ₹2,00,000 लेकर पहुंचा, जहां अभियुक्तगणों ने धोखाधड़ी करते हुए उक्त रुपये हड़प लिए तथा कोई धनराशि वापस नहीं की। जब वादी ने विरोध किया तो अभियुक्तगणों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 200/2025 धारा 318(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का केवल साहू व का0 रामनिवास के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व विचेनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 200/2025 धारा 318(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. अक्षय प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी विजयीमउ थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र लगभग 35 वर्ष, 2. सूरज कुमार त्रिपाठी पुत्र वीरेन्द्र त्रिपाठी निवासी शाहाबपुर बेंती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र लगभग 37 वर्ष को धोखाधड़ी के 02 लाख रूपये नगद व 02 अदद एण्ड्रोयड फोन के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा संग्रामगढ से विजयीमउ को खडंजा रोड पर तालाब के बगल स्थित निमिहा भीटा मन्दिर के पासा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने नरई नहर पुलिया के पास वादी से 02 लाख रुपये धोखाधडी कर के उसके दो लाख रूपये लेकर भाग आये थे। उस समय हमारे साथ रिंकू सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र अम्रपाल सिंह निवासी विजयीमउ थाना संग्रामगढ भी था। हम तीनों आज यहां उन्ही रूपयों का हिस्सा बांट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। रिंकू सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह अभी आप लोगो को आता हुआ देखकर भाग गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अक्षय प्रताप सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी विजयीमउ थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र लगभग 35 वर्ष।

2. सूरज कुमार त्रिपाठी पुत्र वीरेन्द्र त्रिपाठी निवासी शाहाबपुर बेंती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र लगभग 37 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का केवल साहू व का0 रामनिवास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल सहित तीन अभियुक्त (एक नाबालिग सहित) गिरफ्तार, शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत

प्रतापगढ़
दिनांक 28.10.2025 को थाना मानिकपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अन्तामऊ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए तीन व्यक्तियों — 1. सुशील यादव, 2. राजकुमार गौतम एवं 3. पिन्टू मंगता, निवासीगण कमण्डीचक रामपुर गड़ौली — को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सुशील यादव के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ तथा ग्रामीणों द्वारा इनके फायरिंग करने की पुष्टि की गई। उक्त प्रकरण में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 109 बीएनएस 2023 एवं 9/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में दिनाँक 30.10.2025 को थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत उपनिरीक्षक अचिन्त्य शुक्ल मय पुलिस टीम (का० हरवीर सिंह, का० अनुज कुमार, का० संजीव कुमार, का० मगन शर्मा) द्वारा देखभाल क्षेत्र/गश्त के दौरान ग्राम अन्तामऊ में सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर एक अदद नाजायज देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, 03 अदद मोबाइल फोन तथा एक सीजशुदा मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (UP72BZ 4319) बरामद की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में 1. राजकुमार गौतम पुत्र राजेन्द्र, 2. पिन्टू मंगता पुत्र क्रान्ती एवं 1 नाबालिग बाल अपचारी सम्मिलित हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तगणों ने स्वीकार किया कि वे ग्राम अन्तामऊ में एक युवती को परेशान करने के उद्देश्य से आए थे और ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर नाबालिग बाल अपचारी द्वारा ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए तमंचे से फायर किया गया था। मौके से ग्रामीणों की सहायता से तीनों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
01. राजकुमार गौतम पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कमण्डीचक रामपुर गडौली थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
02. पिन्टू मंगता पुत्र क्रान्ती निवासी ग्राम कमण्डीचक रामपुर गडौली थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
03. 01 नफर बाल अपचारी/विधि विरूद्ध बालक

बरामदगी का विवरण-
एक अदद नाजायज देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस, 03 अदद मोबाइल फोन तथा एक सीजशुदा मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (UP72BZ 4319)

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 235/25 धारा 109 बीएनएस एवं 9/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है तथा अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल मय हमराह का0 हरवीर सिंह, का० अनुज कुमार मय हस्बुल तलब हमराह का0 संजीव कुमार, का0 मगन शर्मा थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
थाना मानिकपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास की भावना सुदृढ़ हुई है।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है कड़े निर्देश
मानिकपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत मानिकपुर पीरकमाल बाबा के स्थान की तरफ मुडने वाले खडंजा तिराहा बहद ग्राम जोत दमनपुर,बजहाभीट से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा अवैध गांजा बरामद किया गया तथा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में दिनाँक 30.10.2025 को थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर की महत्वपूर्ण सूचना पर मानिकपुर पीरकमाल बाबा के स्थान की तरफ मुडने वाले खडंजा तिराहा बहद ग्राम जोत दमनपुर,बजहाभीट से उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह का० दर्वेश कुमार, का0 हरवीर सिंह, का० रणजीत सिंह द्वारा 01 अभियुक्त दीपक मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष को मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध गांजा कुल वजन 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। सुपर स्पलेण्डर सं.UP 72BB6170 को अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 236/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम दीपक मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
दीपक मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-
1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह का० दर्वेश कुमार, का0 हरवीर सिंह, का० रणजीत सिंह थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना पट्टी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-'

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह का0 रंजीत यादव व का अनिकेत दिनकर ' द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 312/25 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त जय प्रकाश मौर्या उर्फ चंदू पुत्र अलगू राम मौर्या निवासी विरौती थाना पट्टी जनपद प्रातपगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जय प्रकाश मौर्या उर्फ चंदू पुत्र अलगू राम मौर्या निवासी विरौती थाना पट्टी जनपद प्रातपगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष।

गैंगस्टर अभियुक्त जय प्रकाश मौर्या का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 61(2), 140(2), 62, 117(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ
2. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 3(5), 308(5), 351(3), 352 बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ
3. मु0अ0सं0 312/25 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह का0 रंजीत यादव व का अनिकेत दिनकर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रूपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक प्रभारी निरीक्षक विजय कान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 रोहित सिंह,उ0नि0 अभिषेक वर्मा, मय हमराह का0 राजेश खरवार, का० गौरव कुमार, का नवीन गौतम, का0 विपिन कुमार, चालक का विशाल चौधरी, का0 संजय (सर्विलांस सेल) द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 137/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त आकाश बौद्ध पुत्र दशरथ बौद्ध निवासी ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कुसमी फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-
आकाश बौद्ध पुत्र दशरथ बौद्ध निवासी ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष।

इनामिया अभियुक्त आकाश बौद्ध पुत्र दशरथ बौद्ध नि0 ग्राम ढ़ेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर, प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर, प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 94/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर, प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 34/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेठवारा, प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 देहात, प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 317(2), 317(4) बीएनएस थाना को0 देहात, प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना को0देहात, प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक विजय कान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 रोहित सिंह,उ0नि0 अभिषेक वर्मा, मय हमराह का0 राजेश खरवार,का० गौरव कुमार, का नवीन गौतम, का0 विपिन कुमार, चालक का विशाल चौधरी, का0 संजय (सर्विलांस सेल) थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।